

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक – प०नि०वि०/०६–योजना-५९/२०१९ – २४६४/३) दिनांक – १२/०६/१९

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड,
हिन्दू रांची।

विषय:- पथ प्रमण्डल, धनबाद अन्तर्गत “बिनोद बिहारी चौक से वासेपुर ओवर ब्रिज पथ के कि०मी० ०.०० से कि०मी० २.१० तक (कुल लंबाई-२.१० कि०मी०) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य” हेतु रु० १,१२,०३,६००/- (एक करोड़ बारह लाख तीन हजार छ: सौ रु०) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-

उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रु० १,१२,०३,६००/- (एक करोड़ बारह लाख तीन हजार छ: सौ रु०) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.

इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष- मुख्य शीर्ष-५०५४-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-०३-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-३३-सड़क निर्माण कार्य, उप शीर्ष-०१-वृहद सड़कें, विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण-४५-निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4.

इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, धनबाद होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, धनबाद से की जायेगी।

इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा:-

<u>वित्तीय वर्ष</u>	<u>वित्तीय लक्ष्य</u>	<u>भौतिक लक्ष्य</u>
2019-20	रु० ११२.०३६ लाख	100%

5.

मुख्य अभियंता (या०), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगे।

6.

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

7.

प्रस्ताव पर विभागीय सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

8.

प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— प०नि०वि०/०६—योजना—५९/२०१९ — २८६४(५) दिनांक— १२/०६/१९
प्रतिलिपि:— मुख्य अभियंता (याता०) पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. इस रवीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।
३. इस रवीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
४. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

संयुक्त सचिव, ११६
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— प०नि०वि०/०६—योजना—५९/२०१९ — २८६४(५) दिनांक— १२/०६/१९
प्रतिलिपि :— मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग/उपायुक्त, धनबाद / विशेष पदाधिकारी (या०) पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची/ संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—६, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—९, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव, ११६
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— प०नि०वि०/०६—योजना—५९/२०१९ — २८६४(५) दिनांक— १२/०६/१९
प्रतिलिपि :— प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— प०नि०वि०/०६—योजना—५९/२०१९ — २८६४(५) दिनांक— १२/०६/१९
प्रतिलिपि :— प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—६, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची का सभी सम्बन्धित को ई—मेल (E-mail) से भेजने एवं ई—प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।